न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 71 / 2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र बीरमराम जाति जाट (चांगल) निवासी तालाब का रास्ता, मारवाड मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1अर्जुनराम पुत्र स्व. भंवरूराम 2जगदीश पुत्र स्व. भंवरूराम 3सम्पु पुत्री स्व. भंवरूराम 4मिला पुत्री स्व. भंवरूराम 5कमली पत्नी स्व. भंवरूराम जातियान जाट कामण्डा की ढाणी, मुण्डवा तहसील मुण्डवा। 6तहसीलदार (भू.अ.) नागौर हाल तहसीलरदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री देवेन्द्र राज कल्ला अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मोहम्मद शाहीद सिलावट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01.08.19

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा ग्राम मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 2765 निर्णय दिनांक 08.07.15 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.01.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 2765 दिनांक 19.07.13 की फोटोप्रति, जमाबंदी ग्राम मुण्डवा खाता सं. 554, बेचान दिनांक 04.01.95 बहक अर्जुन पुत्र भोलाराम, बेचान दिनांक 31.09.74 बहक बिरमराम पुत्र मंगाराम, नकल खतौनी संवत 2034–37 खाता सं. 353, नकल खतोनी संवत 2022–25, 2034–37, 2037–40, 2054–54, नकल जमाबंदी 2066–69 खाता सं. 564 वाके मुण्डवा की प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2034–37, नामान्तरकरण सं. 417 वाके मुण्डवा की फोटोप्रति, आधार कार्ड भंवरूराम की फोटोप्रति, परिवार राशन कार्ड सं. 00048 भंवरलाल की फोटोप्रति, नामान्तरकरण सं. 3008 दिनांक 08.07.15 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री मोहम्मद शाहीद सिलावट अधिवक्ता उपस्थित हुए। पक्षकारो द्वारा आपसी राजीनामा दिनांक 15.01.19 को प्रस्तुत किया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि नामान्तरकरण शुरू से ही अवैध व शून्य नामान्तरकरण रहे है तथा अवैध व शून्य नामान्तरकरण के विरूद्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तअनुसार अपील की विधि मे कोई समय सीमा नही है। इसके अलावा अपीलांट को उक्त गलत नामान्तरकरण की हाल ही मे जानकारी हुई तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड, नामान्तरकरण व अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की और अपीलांट मात्र साक्षर है ज्यादा पढा लिखा नही होने से व कानूनी जानकारी नही होने से अपील पेश करने मे देरी हुई है। जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका प्रतिपक्ष द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मामले मे नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–हस्तगत नामान्तरकरण जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व शुरू से ही अवैध व शून्य प्रभावी रहे है तथा निरस्त किये जाकर राजस्व रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने योग्य है।

{2}(II)–चूंकि अपीलांट व अपीलांट के पिता का नाम तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के पिता का नाम व दादा का नाम एक ही जैसा होने से यानि भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र बीरमराम (भंवरलाल) व भंवरूराम पुत्र बीरमराम समान नाम होने के कारण राजस्व कर्मचारियो की भूल, सद्भाविक त्रुटि के कारण अपीलांट की

अपर कलक्टर, नागौर

खातेदारी के खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का फौतगी नामान्तरकरण सं. 2765 भरा गया जो अवैध व विधि विरूद्व हुआ, रहा व है तत्पश्चात उतरोतर गलती होती रही है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के अन्य खसरान के साथ उक्त खसरा नं. 1570 रकबा 4.3 बीघा का जो गलत म्यूटेशन हो रखा था तथा रेस्पोडेन्ट्स मे से 2 से 5 ने रेस्पो. सं. 1 के हक मे तर्कनामा कर देने से जो म्यूटेशन नं. 3008 स्वीकृत हुआ वह भी अपने आप मे अवैध व शून्य हुआ, रहा व है।

{2}(III)–चूंकि विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व नामान्तरकरण हेतु जो विधिक प्रक्रिया बनी हुई है उसकी पालना नही की गई है। मौके पर आकर खेतो पर कब्जा काश्त के बारे मे कोई जानकारी नही की न ही उतराधिकारीगण व पूर्व काबिज खातेदारो के राजस्व रेकर्ड की विधिवत जांच की गयी और लापरवाही पूर्वक अपीलांट की खातेदारी के खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के पिता व पति की खातेदारी का होना मानकर उक्त खसरा मे रेस्पोडेन्टस का जरिये नामान्तरकरण नाम दर्ज कर दिया है, जबकि आज दिन मौके पर उक्त खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा पर रेस्पोडेन्टस का कोई कब्जा हक अधिकार नही है।

{2}(IV)–अपीलांट ने पहचान के दस्तावेजात व उक्त खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो अपीलांट के पिता बीरमाराम पुत्र मंगलाराम जाट चांगल ने पूर्व खातेदारो से जरिये रजि. विक्रय पत्र खरीद किया उनके विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति व उससे संबंधित अपीलांट व उसके पिता के नाम के जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

{2}(V)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि खसरा नं. 1570 की 4.03 बीघा भूमि गलती से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गयी। उसे वापस अपीलांट के पक्ष मे किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स को कोई एतराज भी नही है। जब दोनो पक्षकार आपस मे रजामंद है तो चाहे अनुसार अपील स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होनी चाहिये।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वकील अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा माफिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने मे उन्हे कोई आपत्ति नही है। जबकि वकील रेस्पोडेन्ट सं. 6 के द्वारा तर्क दिया गया कि भंवरूराम पुत्र बिरमराम अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नं. 1570 व 1662 हेतु नामान्तरकरण सं. 2765 रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम स्वीकृत हुआ है। जबकि विवाद मात्र खसरा नं. 1570 को ही लेकर लाया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील विरासत से संबंधित है तथा विरासत के अधिकार इस न्यायालय स्तर से तय नही किये जा सकते है। इसलिये अपील खारिज की जानी चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 1570 रकबा 4.03 बीघा व 1662 रकबा 18.18 बीघा भूमि के खातेदार भंवरू पुत्र बिरम के विरासत का नामान्तरकरण सं. 2765 दिनांक 19.07.13 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के पक्ष मे स्वीकृति से असंतुष्ट होकर खसरा नं. 1570 रकबा 4.03 बीघा पुनः अपीलांट भंवरू के पक्ष मे किये जाने को लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः नामान्तरकरण विरासत से संबंधित है तथा भंवरूराम पुत्र बिरमराम फोत होने पर मुण्डवा के खसरा नं. 1081, 1570, 1662 हेतु नामान्तरकरण जैर अपील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के पक्ष मे दिनांक 19.07.13 को स्वीकृत किया गया है। वास्तविक रूप से विरासत किस के पक्ष मे है, इस संबंध मे निर्धारण करने का इस न्यायालय को अधिकार नही है। यहां तक कि नामान्तरकरण सं. 2765 से विरासत के रूप मे आयी उक्त भूमि तर्कनामा दिनांक 30.06.15 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के स्थान पर रेस्पोडेन्ट जगदीश पुत्र भंवरूराम अकेले के नाम नामान्तरकरण सं. 3008 के द्वारा स्वामित्व का अंकन हो चुका है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त किये जाने हेतु अधिकारिता भी इस न्यायालय की नही है। नामान्तरकरण प्रक्रिया फिस्कल कार्यवाही है। जिससे पक्षकारो के अधिकारो का विनिश्चय नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होती है। अपीलांट अपने स्वत्व अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम नियमित न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर